कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड ।
(मनोरंजन कर विभाग)

संख्या 154 / मनो0कर / 2016–17 / 135–सां0 / दे0दून दिनांक 10 जून ~~मई~~ 2016

परिपत्र

समस्त उपायुक्त मनोरंजन कर /
सहायक आयुक्त मनोरंजन कर /
जिला मनोरंजन कर अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **ऑनलाईन दाखिल प्रार्थनापत्रों पर विभिन्न आमोदों को लाईसेंस / अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा EODB (Ease of Doing Business) के अंतर्गत कार्यों / प्वाईन्ट्स को पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न आमोद स्वामियों को लाईसेंस / अनुमति प्रदान किये जाने हेतु से ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गयी है । ऑनलाईन प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं । इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

:–निर्देशः–

(क) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन / लाईसेंस / अनुमति प्रदान किया जाना :–

1. प्रार्थनापत्र विभागीय वैबसाईट comtaxappl.uk.gov.in में New e- registration में Entertainment Tax टैब के माध्यम से अपलोड किये जायेंगे ।
2. सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था है जिससे आमोद स्वामी द्वारा प्रार्थनापत्र में घोषित किये गये मोबाईल फोन नंबर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से अथवा ई–मेल अथवा दोनों से उसे यह सूचना (नोटिस) चली जाएगी कि एप्लीकेन्ट प्रार्थनापत्र अपलोड कर टिन नम्बर जनरेट किया जा चुका है तथा प्रार्थनापत्र पर की कार्यवाही का विवरण भी आमोद स्वामी द्वारा पता किया जा सकेगा ।
3. जिला में कार्यरत सहायक आयुक्त मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दिन विभागीय वैबसाईट खोलकर अपलोड किये गये प्रार्थनापत्र को देखें और उनके निस्तारण हेतु आवश्यक तैयारी रखें । विभागीय ADMIN पर Login करके रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में Enter कर अनुमति / लाईसेंस संबंधित लंबित प्रार्थनापत्र screen पर उपलब्ध हो जायेगा ।
4. संबंधित अधिकारी को लाईसेंस / अनुमति उपलब्ध कराने से पूर्व समस्त प्राप्त आवेदन / प्रार्थनापत्र मय संलग्नकों के यथानियम जांच कर, पूर्ण प्रार्थनापत्र पर यथासमय अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी ।
5. जिन प्रार्थनापत्रों के साथ वांछित अनुलंग्नक एवं दस्तावेज दाखिल न किये गये हों, वे अधूरे माने जायेंगे ।

(ख) ऑनलाईन रिटर्न दाखिल किया जाना

6. आमोद स्वामी स्वयं को जनरेटिड टिन नंबर के माध्यम से etax module में User के माध्यम से टिन नंबर तथा रजिस्टर्ड आमोद को login कर, online return भरा जाएगा ।

7. ई–पेमेन्ट किये जाने से पूर्व आमोद स्वामी को online return को संबंधित निरीक्षक / अधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक होगा ।

........2........

(ग) ऑनलाईन ई–पेमेंट किया जाना ।

8. संबंधित निरीक्षक/अधिकारी द्वारा Admin login पर Inspector टैब पर चैक कर, स्वयं के Dashboard पर ई–पेमेन्ट हेतु लंबित return, accept/reject कर सकेंगे । Accept के पश्चात् ही आमोद स्वामी ई–पेमेन्ट हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही/बैंक गेटवे पर ऑनलाईन पेमेंट एटीएम कम डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेगा।

9. आमोद स्वामियों को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/अनुमति हेतु आवेदन करने के पश्चात्, प्राप्त अनुमति/लाईसेंस की प्रति उनके ई–मेल पर उपलब्ध करा दी जायेगी, परन्तु मूल प्रति प्रतिभूति/सिक्योरिटी धनराशि जमा कराये जाने के उपरांत ही उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

अतः आप समस्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अपने जनपद में समस्त रजिस्टर्ड/नवीन रजिस्टर्ड स्वामियों को अपने स्तर से उक्त सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।

संख्या 144 /तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव वित्त, वित्त अनु0–09, उत्तराखण्ड शासन ।
2. गार्ड फाईल हेतु ।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।